अध्याय 4
अल्पसंख्यकों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

अध्याय 4
अल्पसंख्यकों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

यह अध्याय अल्पसंख्यकों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित है जिसके तहत छः चयनित जिलों में नमूना जाँचित 30 प्री और पोस्ट मैट्रिक विद्यालयों / संस्थानों में छात्रवृत्ति के वितरण में पाई गई अनियमितताओं से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में प्रदर्शित चयनित विद्यालयों के लाभार्थी के विवरण को चयनित विद्यालयों /संस्थानों के अभिलेखों के साथ जाँच किया गया था। इस अध्याय के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

- 20 फर्जी लाभार्थियों को ₹ 1.52 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था चूँकि इन लाभार्थियों के क्रेडेंशियल की संबंधित विद्यालयों/संस्थानों के अभिलेख से पुष्टि नहीं की जा सकी थी।
- नमूना जाँचित 14 विद्यालयों/संस्थानों से 1482 क्षद्म/फर्जी लाभार्थियों को ₹ 1.17 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जो न तो स्वयं एनएसपी पर पंजीकृत थे और न ही कभी उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल प्राप्त किए थे।
- पात्रता मानदंड, वार्षिक आय और पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में लाभार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना 663 छात्रों को ₹ 43.77 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी।
- एनएसपी पोर्टल के अलावा नमूना जाँचित जिलों और विभाग स्तर पर लाभार्थियों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। यह भी देखा गया कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय विवरण जिलों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।
- अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

निष्कर्ष:

राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन निराशाजनक था क्योंकि लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित 30 संस्थानों में से 18 (60 प्रतिशत) में फर्जी/छद्म लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण के मामले देखे। उन संस्थानों से भी छात्रवृत्ति का धोखाधड़ी से वितरण किया गया, जो न तो खुद को एनएसपी पर पंजीकृत करते थे और न ही उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल प्राप्त किए थे।

यह परिलक्षित होता है कि आवेदन सत्यापन अधिकारियों की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ फर्जी व्यक्तियों को छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया। आवेदनों के फर्जी अनुमोदन में संस्थान के

नोडल अधिकारी (आईएनओ)/जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ)/राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) (आवेदन सत्यापन प्राधिकरण) की आवेदनों की कपटपूर्ण स्वीकृति में भूमिका की पुष्टि धनबाद जिले में धोखाधड़ी का मामला सामने आने पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के सत्यापन के लिए बनाई गई जिला स्तरीय सरकारी समिति की जाँच प्रतिवेदन से भी हुई थी।

इस प्रकार, विभाग अपात्र/फर्जी व्यक्तियों की संलिप्तता को प्रतिबंधित करने में विफल रहा, क्योंकि हितधारक एसओपी के तहत परिभाषित अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने में विफल रहे। पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के अनियमित संवितरण के उदाहरण भी देखे गए थे। नियमित अंतराल पर मूल्यांकन अध्ययन हालाँकि आवश्यक था परन्तु नहीं किया गया था और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना की प्रभावशीलता से विभाग बेखबर था।

4.1 परिचय

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। यह प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यक समुदायों[25] के मेधावी छात्रों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगी, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को हल्का करेगी और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अपने बच्चों का समर्थन करने के उनके प्रयासों को बनाए रखेगी। यह योजना उनकी शैक्षिक प्राप्ति के लिए नींव बनाएगी और प्रतिस्पर्धी रोजगार क्षेत्र में एक समान अवसर प्रदान करेगी। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण, जो इस योजना के उद्देश्यों में से एक है, में अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के उत्थान की ओर ले जाने की क्षमता है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत के सरकारी या निजी विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित आवासीय सरकारी संस्थान और पात्र निजी संस्थान भी शामिल हैं। जबकि, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत में एक सरकारी या निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रदान की जानी है, जिसमें सरकार के ऐसे आवासीय संस्थान और सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित योग्य निजी संस्थान शामिल हैं। यह पॉलीटेक्निक और अन्य पाठ्यक्रमों सहित ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण

[25] मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैन और पारसियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी आच्छादित करेगा। एक वर्ष से कम अवधि का कोई भी पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी आच्छादित नहीं हैं।

4.2 पात्रता मानदंड

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र द्वारा प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए व्यापक पात्रता मानदंड **तालिका 4.1** में निम्नानुसार है:

तालिका 4.1: प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मापदंड

योजना का नाम	व्यापक योग्यता मापदंड		
	माता-पिता/अभिभावकों के लिए वार्षिक आय की सीमा	पिछली उत्तीर्ण अंतिम परीक्षा के अंक	अन्य आवश्यकतायें
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1.00 लाख	50% से कम अंक नहीं या समकक्ष ग्रेड	i. छात्र के माता-पिता/अभिभावक के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सक्षम प्राधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र आवश्यक है। ii. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले छात्र से एक स्व-प्रमाणित समुदाय प्रमाणपत्र आवश्यक है। दूसरों के लिए छात्र के माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रमाणित सामुदायिक प्रमाण पत्र आवश्यक है। iii. पुरस्कार की निरंतरता (आवेदकों के नवीनीकरण के लिए) पिछले वर्ष की परीक्षा में 50% अंक हासिल करने के अधीन होगी। iv. विद्यालय/संस्थान संबंधित विद्यालय /संस्थान के छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र के बाहरी छात्र होने के दावे को स्थायी पते और माता-पिता के पते के आधार पर प्रमाणित करेगा। v. एक छात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की सभी उपलब्ध छात्रवृत्ति में से केवल एक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2.00 लाख		

(स्रोत: सरकारी आदेश)

4.2.1 हितधारकों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 2017-18 और 2018-19 के अनुसार, हितधारकों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व नीचे **तालिका 4.2** में दर्शाई गई हैं:

तालिका 4.2: हितधारकों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

हितधारक	उत्तरदायित्व
छात्र/आवेदक	छात्र/आवेदक की प्राथमिक भूमिका एनएसपी में आवेदन को पंजीकृत करना और जमा करना है।
विद्यालय/ महाविद्यालय संस्थान	• एनएसपी के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए प्रथम स्तर के सत्यापन के रूप में कार्य करना • अद्यतन पाठ्यक्रम और छात्र आवेदन पत्र में शुल्क राशि अद्यतन करना। यदि छात्र द्वारा दर्ज किया गया शुल्क गलत पाया जाता है तो संस्थान/महाविद्यालय इसे सुधार सकते हैं। • आवेदनों को सत्यापित/अस्वीकार करना। • आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और अपलोड किए गए दस्तावेज़ की शुद्धता की जाँच करके आवेदन का सत्यापन और सहायक दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों को बनाए रखना। • जिला/राज्य आवश्यकता पड़ने पर आईएनओ से इन दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
एसएनओ/डीएनओ[26]	• दूसरे स्तर के सत्यापन के रूप में काम करने के लिए। • संस्थान को लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए उत्तरदायी। • एनएसपी में नए संस्थान और उनके पाठ्यक्रमों को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी। • शुल्क राशि, आधार संख्या और खाता संख्या को अद्यतन करना। • आवेदनों को सत्यापित/अस्वीकार करना। • एनएसपी पोर्टल पर भुगतान लॉट बनाना। • पीएफएमएस पोर्टल पर पेमेंट फाइल पर डिजिटल सिग्नेचर करना।
एसएनओ [27]	• तीसरे स्तर के सत्यापन के रूप में काम करना। • राज्य नोडल अधिकारी द्वितीय स्तर के सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन करेगा।
केंद्रीय मंत्रालय-स्वीकृति अधिकारी (पीएफएमएस पोर्टल)	लाभार्थी के बैंक खाते में धन की स्वीकृति देने और संवितरण के लिए उत्तरदायी।

[26] डीएनओ को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (24 जुलाई 2019 को जारी) के SOP के अनुसार आवेदनों के द्वितीय स्तर के सत्यापन के रूप में पेश किया गया है।

[27] जून 2019 तक, एसएनओ ने द्वितीय स्तर के सत्यापन के रूप में कार्य किया। हालाँकि, जुलाई 2019 से एसएनओ को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (24 जुलाई 2019 को जारी) के एसओपी के अनुसार आवेदनों के लिए तीसरे स्तर के सत्यापन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

4.3 आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) हर साल एक विशेष अवधि में पंजीकरण के लिए खुलता है। छात्र एनएसपी के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों का सत्यापन आईएनओ/ डीएनओ/ एसएनओ द्वारा किया जाएगा जो आवेदन पत्र में दिए गए विवरण और छात्र/ आवेदकों द्वारा एनएसपी पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की शुद्धता को सुनिश्चित करेंगे। एनआईसी योजनावार आवेदनों को मेधा सूची से अलग लॉट बनाने के लिए करता है और उन्हें पीएफएमएस में आगे बढ़ाता है। पीएफएमएस भुगतान फाइल बनाता है और सत्यापन के लिए राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) को भेजता है। एसएनओ सत्यापन कर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करता है और छात्रवृत्ति की भुगतान प्रक्रिया के लिए एम.ओ.एम.ए को अग्रेषित करता है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों के आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया नीचे **चार्ट-4.1** में दर्शाई गई है:

चार्ट 4.1: अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों के आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया

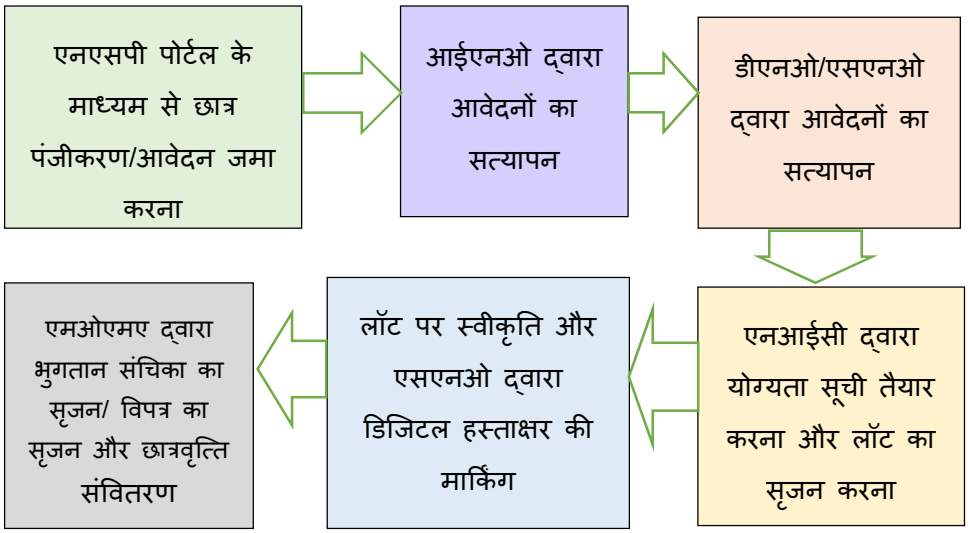

4.4 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सचिव की अध्यक्षता में अ.ज.जा., अ.ज., अल्पसंख्यक एवं पि.व., कल्याण विभाग को निहित है। प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (जेएसएमएफडीसी), राज्य नोडल अधिकारी के रूप में राज्य में योजना के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण रखता है। जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी (जि.क.अ.) जिला नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। राज्य स्तर की संगठनात्मक संरचना **चार्ट 4.2** में है:

चार्ट 4.2: संगठनात्मक ढाँचा

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए राज्य/ जिला स्तर के तंत्र:

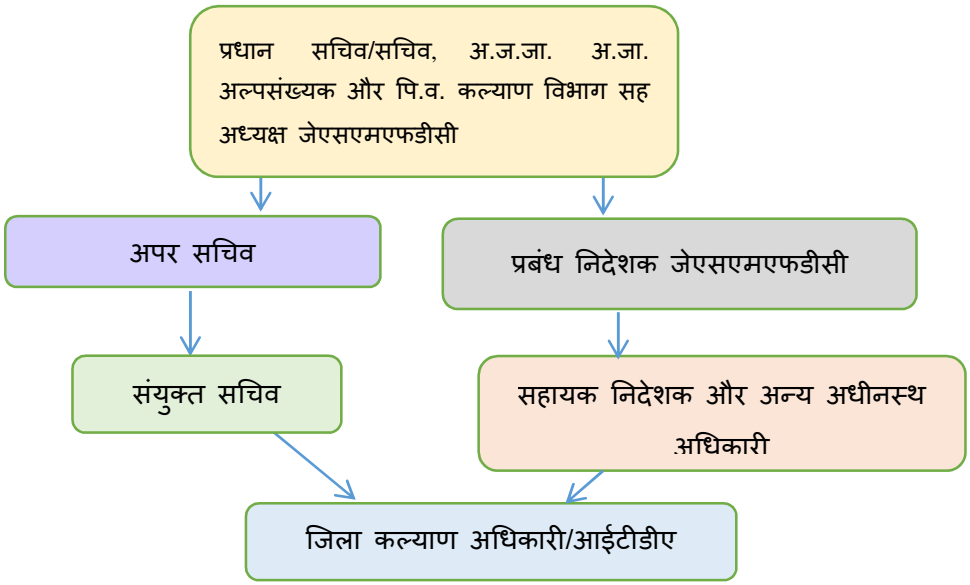

4.5 वित्तीय ढाँचा

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और 100 प्रतिशत वित्त पोषण अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (एमओएमए), भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदनों को अनुमोदित किए जाने के बाद लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण सीधे एमओएमए द्वारा किया जाता है।

4.6 लाभार्थी

जेएसएमएफडीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 7.99 लाख लाभार्थियों ने प्री और पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 2.48 लाख लाभार्थियों को 2017-21 के दौरान ₹ 160.38 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जैसा कि **तालिका 4.3** में वर्णित है:

तालिका 4.3: 2017-21 के दौरान कुल आवेदन और छात्रवृत्ति का वितरण

योजना का नाम	वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन (नए और नवीनीकरण)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या (पीएफएमएस भुगतान के अनुसार)	भुगतान के लिए विचार नहीं किये गए आवेदन	छात्रवृत्ति का वितरण (₹ करोड़ में)
प्री-मैट्रिक	2017-18	77,561	51,895	25,666	29.43
	2018-19	1,66,421	50,450	1,15,971	34.6
	2019-20	2,03,627	84,133	1,19,494	60.9
	2020-21	2,23,453	14,332	2,09,121	5.17
	कुल	**6,71,062**	**2,00,810**	**4,70,252**	**130.10**

योजना का नाम	वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन (नए और नवीनीकरण)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या (पीएफएमएस भुगतान के अनुसार)	भुगतान के लिए विचार नहीं किये गए आवेदन	छात्रवृत्ति का वितरण (₹ करोड़ में)
पोस्ट-मैट्रिक	2017-18	30,650	15,025	15,625	9.96
	2018-19	40,491	12,616	27,875	8.61
	2019-20	25,016	13,182	11,834	8.72
	2020-21	31,410	5,918	25,492	2.99
	योग	**1,27,567**	**46,741**	**80,826**	**30.28**
	कुल योग	**7,98,629**	**2,47,551**	**5,51,078**	**160.38**

(स्रोत: जेएसएमएफडीसी)

उपरोक्त **तालिका 4.3** से यह स्पष्ट है कि 2017-21 के दौरान भुगतान के लिए केवल 30 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई थी जबकि अन्य आवेदन संस्थान के नोडल अधिकारी (आईएनओ)/ जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) के स्तर पर लंबित थे हालाँकि, लंबित होने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

4.7 लेखापरीक्षा आच्छादन

जेएसएमएफडीसी द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, 100877 लाभार्थियों को 2017-21 के दौरान छः चयनित जिलों में ₹ 60.38 करोड़ की प्री और पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरित की गई, जैसा कि नीचे **चार्ट 4.3** में दिखाया गया है:

चार्ट 4.3/क: प्री और पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों की संख्या

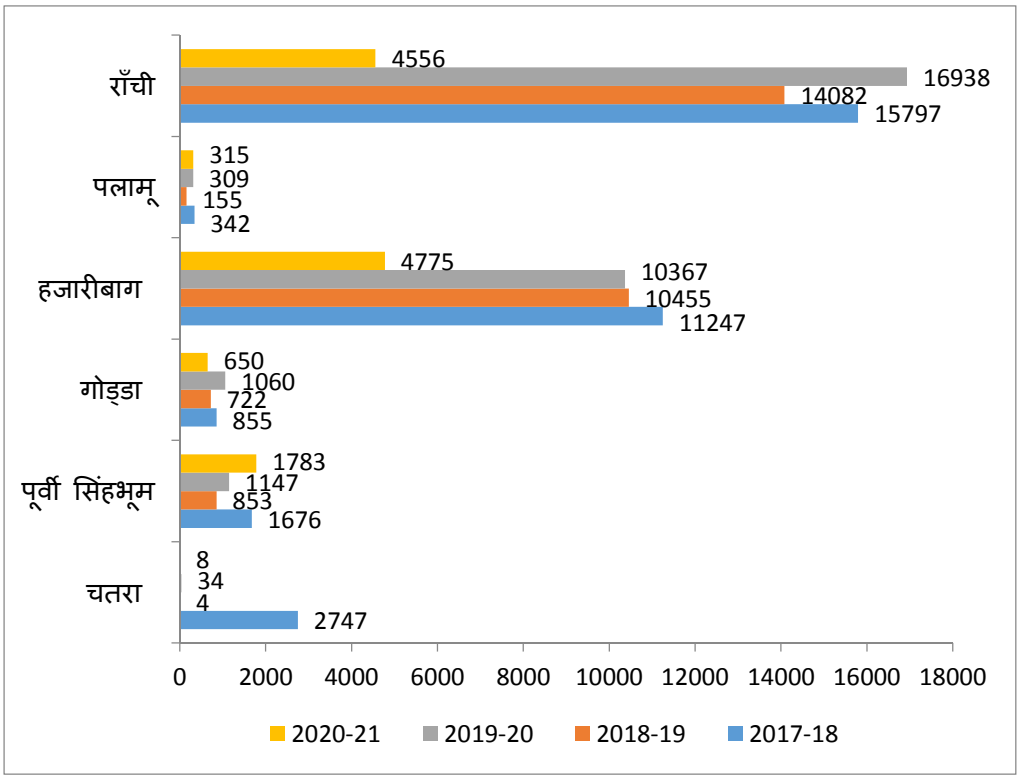

चार्ट 4.3/ख: 2017-21 के दौरान प्री और पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के तहत कुल व्यय

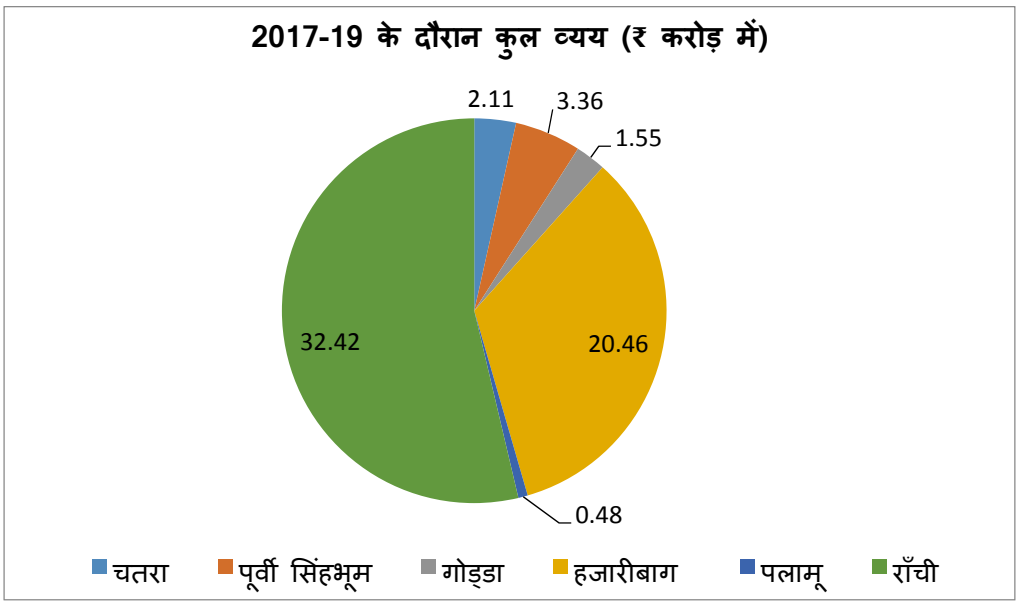

लेखापरीक्षा ने छः नमूना जाँचित जिलों के 30 प्री एवं पोस्ट मैट्रिक विद्यालयों/ संस्थानों के अभिलेखों की जाँच की ***(परिशिष्ट-4.1)***। एनएसपी में दर्शाए गए चयनित स्कूलों के लाभार्थियों के विवरण संबंधित स्कूलों/संस्थानों के अभिलेख के साथ क्रॉस-चेक किए गए थे। लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नानुसार हैं:

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.8 छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए एसओपी 2017-18 के अनुसार, संस्थानों/ विद्यालयों को पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकरण फॉर्म भरकर एनएसपी पर पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके बाद, राज्य प्राधिकरण, संस्थान/विद्यालय के विवरण को सत्यापित करेगा और उसे स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके बाद, संस्थान/ विद्यालय को एनएसपी के डेटाबेस में जोड़ा जाएगा और एसएनओ द्वारा पोर्टल के लिए क्रेडेंशियल्स (लॉगिन/पासवर्ड) प्रदान किए जाएंगे।

इसके अलावा, छात्रों को अपना पंजीकरण कराना होगा और एनएसपी के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम स्तर के सत्यापन के रूप में छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदनों को मंजूरी देने के लिए आईएनओ एनएसपी पर लॉग इन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र वास्तविक और योग्य हैं और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ दोहराव को नियंत्रित करेंगे। सत्यापन प्राधिकारी के पहले स्तर द्वारा विधिवत सत्यापित एक आवेदन को वैध आवेदन माना जाएगा। द्वितीय स्तर का सत्यापन विद्यालयों/संस्थानों की क्रेडेंशियल की शुद्धता सुनिश्चित करेगा और आवेदनों का सामूहिक सत्यापन करेगा (जुलाई 2019 तक लागू)। अगस्त 2019

से, डीएनओ/एसएनओ को भी छात्रों द्वारा अपलोड/जमा किए गए आवेदन और दस्तावेजों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

4.8.1 पंजीकृत विद्यालयों/संस्थानों में छद्म लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान

तीन जिलों (गोड्डा, हजारीबाग एवं राँची) के नमूना जाँचित चार[28] विद्यालयों/संस्थानों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-20 के दौरान 20 लाभार्थियों को ₹ 1.52 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट-4.2)***। हालाँकि, संबंधित स्कूलों/संस्थानों के अभिलेख से इन लाभार्थियों की क्रेडेंशियल की पुष्टि नहीं हो सकी। फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता।

संबंधित विद्यालयों /संस्थानों के प्रधानाचार्यों ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जनवरी-अगस्त 2022) और कहा कि ये लाभार्थी उनके विद्यालयों /संस्थानों के छात्र नहीं थे, लेकिन इन फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स के दुरुपयोग के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया।

फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने में आईएनओ की भागीदारी से लेखापरीक्षा इंकार नहीं कर सका क्योंकि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना (2017-18 और 2019-20) के एसओपी के अनुसार आईएनओ सत्यापन का पहला स्तर है जो छात्रों के आवेदन और दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित करता है।

4.8.2 विद्यालयों /संस्थानों को शामिल किए बिना क्षद्म/फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अनियमित वितरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः नमूना-जाँचित जिलों में से चार में, नमूना-जाँचित 14 विद्यालयों/संस्थानों के 1482 छद्म/फर्जी लाभार्थियों को 2017-19 के दौरान ₹ 1.17 करोड़ ***(परिशिष्ट-4.3)*** की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। इंगित किए जाने पर संबंधित विद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों ने बताया (दिसंबर 2021 से जुलाई 2022) कि उन्होंने न तो खुद को एनएसपी पर पंजीकृत कराया और न ही जेएसएमएफडीसी/नमूना-जाँचित डीएनओ से संस्थान के लिए क्रेडेंशियल्स (यूजर आईडी और पासवर्ड) प्राप्त किए।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की एसओपी के अनुसार, द्वितीय स्तर के सत्यापन प्राधिकरण (एसएनओ/डीएनओ) द्वारा विद्यालयों/संस्थानों की क्रेडेंशियल सुनिश्चित की जानी है।

पासवर्ड के साथ यूजर आईडी बनाने और उन्हें संबंधित विद्यालयों/संस्थानों को जारी करने के बारे में विवरण न तो नमूना जाँचित जिलों के जि.क.अ. द्वारा और न ही जेएसएमएफडीसी द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराया गया था। ऐसे अभिलेखों के

---

[28] गोड्डा महाविद्यालय गोड्डा, कासमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल इस्लामपुर, हजारीबाग, अन्नदा महाविद्यालय हजारीबाग और डोरंडा महाविद्यालय राँची

अभाव में लेखापरीक्षा उन विद्यालयों/संस्थानों की सत्यता का सत्यापन नहीं कर सका जिन्हें छात्रवृत्ति वितरित करने की अनुमति दी गई थी।

आवेदनों के कपटपूर्ण अनुमोदन में डीएनओ/एसएनओ की भूमिका की पुष्टि धनबाद जिले में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की पुष्टि के लिए बनाई गई जिला स्तरीय सरकारी समिति की जाँच रिपोर्ट से की गई थी जैसा कि कंडिका 4.10.2 में वर्णित है।

4.9 लाभार्थियों की पात्रता के सत्यापन के बिना छात्रवृत्ति का भुगतान

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति 2017 के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए उनके माता-पिता / अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है। इसके अलावा, छात्र के माता-पिता/अभिभावक के लिए राज्य सरकार में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक आय प्रमाण पत्र, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले छात्र से एक स्व-प्रमाणित समुदाय प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए, छात्र के माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रमाणित सामुदायिक प्रमाण पत्र आवश्यक है), आधार, अधिवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि की आवश्यकता थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बिना पात्रता मानदण्ड अर्थात वार्षिक आय और पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में लाभार्थियों द्वारा प्राप्त अंक जांचे छः चयनित जिलों में से दो (चतरा एवं गोड्डा) के चार विद्यालयों/संस्थानों में 663 विद्यार्थियों को ₹ 43.77 लाख की छात्रवृत्ति वितरित किया। विवरण नीचे **तालिका 4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.4: 2017-21 के दौरान पात्रता के दस्तावेजों के सत्यापन के बिना संसाधित आवेदनों की संख्या

नमूना जाँचित जिला	विद्यालय का नाम	2017-21 के दौरान पात्रता के दस्तावेजों के सत्यापन के बिना संसाधित आवेदनों की संख्या	2017-21 के दौरान वितरित छात्रवृत्ति की राशि
चतरा	किड्स किंगडम	365	3835400
गोड्डा	उच्च विद्यालय, नयानगर	92	126400
	सेंट जोसेफ उच्च विद्यालय, डमरूहाट	171	379920
	राजकीय उच्च विद्यालय, लुकलुकी	35	35135
	योग	**663**	**4376855**

इंगित किये जाने पर इन विद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों ने बताया (दिसम्बर 2021 एवं जुलाई 2022) कि आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के स्थान पर उन्होंने विद्यालयों/संस्थानों के प्रवेश पंजिका के आधार पर आवेदनों को स्वीकृत किया तथा डीएनओ को द्वितीय स्तर के अनुमोदन के लिए भेज दिया।

इस प्रकार, दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत, सभी आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना छात्रवृत्ति की अनुमति दी गई और ₹ 43.77 लाख की छात्रवृत्ति अनियमित रूप से वितरित की गई।

अनुशंसाएँ:

सरकार को पूरे राज्य में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच के लिए जाँच शुरू करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए और उपयुक्त तंत्र के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ही लाभ का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ जवाबदेही/जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

4.10 निगरानी और मूल्यांकन

4.10.1 अपर्याप्त निगरानी

योजना दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 17 एवं 18 के अनुसार योजनाओं की निगरानी हेतु राज्य सरकार छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का वर्ग, लिंग, नवीन अथवा नवीनीकरण, स्थायी पता एवं माता-पिता का पता एवं नाम, विद्यालय/ संस्थान का स्थान और स्थिति (सरकारी या निजी) अंकित करते हुए वर्षवार विवरण संधारित करेगी। राज्य सम्बंधित भौतिक और वित्तीय विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रखेंगे।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएसपी पोर्टल के अलावा जेएसएमएफडीसी/ नमूना जाँचित डीएनओ स्तर पर लाभार्थियों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था, जैसा कि दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक था। यह भी देखा गया कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय विवरण जिलों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।

इसके अलावा, छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए नींव तैयार करना और प्रतिस्पर्धी रोजगार क्षेत्र में एक स्तर प्रदान करना है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के उत्थान की क्षमता है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (2017-18) के एसओपी के अनुसार योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन की निगरानी का मूल्यांकन एमओएमए द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों/ अभिकरणों के माध्यम से मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन करवाया जायेगा।

इसके अलावा, जेएसएमएफडीसी (फरवरी 2021) में संचिकाओं की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-20 के दौरान जि.क.अ., उपायुक्तों, संस्थानों/ विद्यालयों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय आदि से फर्जी संस्थानों/छात्रों के संबंध में विभिन्न शिकायतें जेएसएमएफडीसी में प्राप्त हुई थीं। जेएसएमएफडीसी द्वारा कोई शिकायत पंजी नहीं बनाया गया था, हालाँकि, कुछ मामलों में, जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अभिलेखों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं पाई गई इसलिए किसी विशेष शिकायत का निपटान किया गया हो ऐसा लेखापरीक्षा

के द्वारा नहीं पाया गया। इससे पता चलता है कि जेएसएमएफडीसी के पास 2017-18 से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को फर्जी तरीके से निकासी करने की जानकारी थी।

अगर जेएसएमएफडीसी ने राज्यवार जाँच, जवाबदेह संस्थानों/व्यक्तियों/ अधिकारियों आदि के खिलाफ कानूनी/दंडात्मक कार्रवाई जैसी ठोस उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की होती, तो इस तरह के कदाचार को कम/नियंत्रित किया जा सकता था। चूँकि लेखापरीक्षा ने फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण, फर्जी आईएनओ को क्रेडेंशियल जारी करने आदि के मामले देखे, यह दर्शाता है कि 2017-18 में विभाग के संज्ञान में आने के बावजूद इस तरह के कदाचार जारी रहे।

4.10.2 अल्पसंख्यक घोटाले की जाँच

धनबाद जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में वित्तीय घोटाले के बारे में समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित (नवंबर 2020) हुई थी और मामले की जाँच के लिए उपायुक्त धनबाद द्वारा धनबाद के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धनबाद की अध्यक्षता में एक जाँच दल का गठन (नवंबर 2020) किया गया था।

दल ने धनबाद जिले के 482 विद्यालयों/संस्थानों के 13506 विद्यार्थियों के आवेदनों की जाँच की, जिसके तहत ₹ 11.55 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। जाँच के परिणामस्वरूप, टीम ने डीएनओ, अधीनस्थ कर्मचारियों, राज्य एमआईएस समन्वयक (जेएसएमएफडीसी) और बिचौलिए की मिलीभगत से ₹ 9.99 करोड़ की छात्रवृत्ति के फर्जी वितरण की सूचना दी। जाँच दल ने निष्कर्ष निकाला कि:

- डीएनओ ने फर्जी स्कूलों/संस्थानों के लिए यूजर क्रेडेंशियल बनाया और बड़ी संख्या में फर्जी छात्रों के आवेदनों को मंजूरी दी;
- डीएनओ ने बिचौलिए को यूजर क्रेडेंशियल्स जारी किए, जिसने बदले में कई विद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों को छात्रवृत्ति के फर्जी भुगतान का लालच दिया।

जाँच दल ने छात्रवृत्ति योजना में निम्नलिखित कमियों को भी इंगित किया:

- आईएनओ/विद्यालय के प्रबंधन/प्राचार्यों के उत्तरदायित्व तय करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था;
- लाभार्थियों के आधार से आयु और अन्य विवरणों को मान्य करने के लिए अल्पसंख्यक पोर्टल में कोई प्रणाली मौजूद नहीं है;
- बिना यूडीआईएसई/एआईएसएचई कोड वाले स्कूलों को छात्रवृत्ति की अनुमति दी गई।

आगे, नमूना जाँचित जिलों में, लेखापरीक्षा ने फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण, छात्रों की पात्रता की पुष्टि किए बिना छात्रवृत्ति आवेदनों का सत्यापन आदि जैसी अनियमितता देखी, जैसा कि **कंडिका 4.8 और 4.9** में चर्चा की गई है।